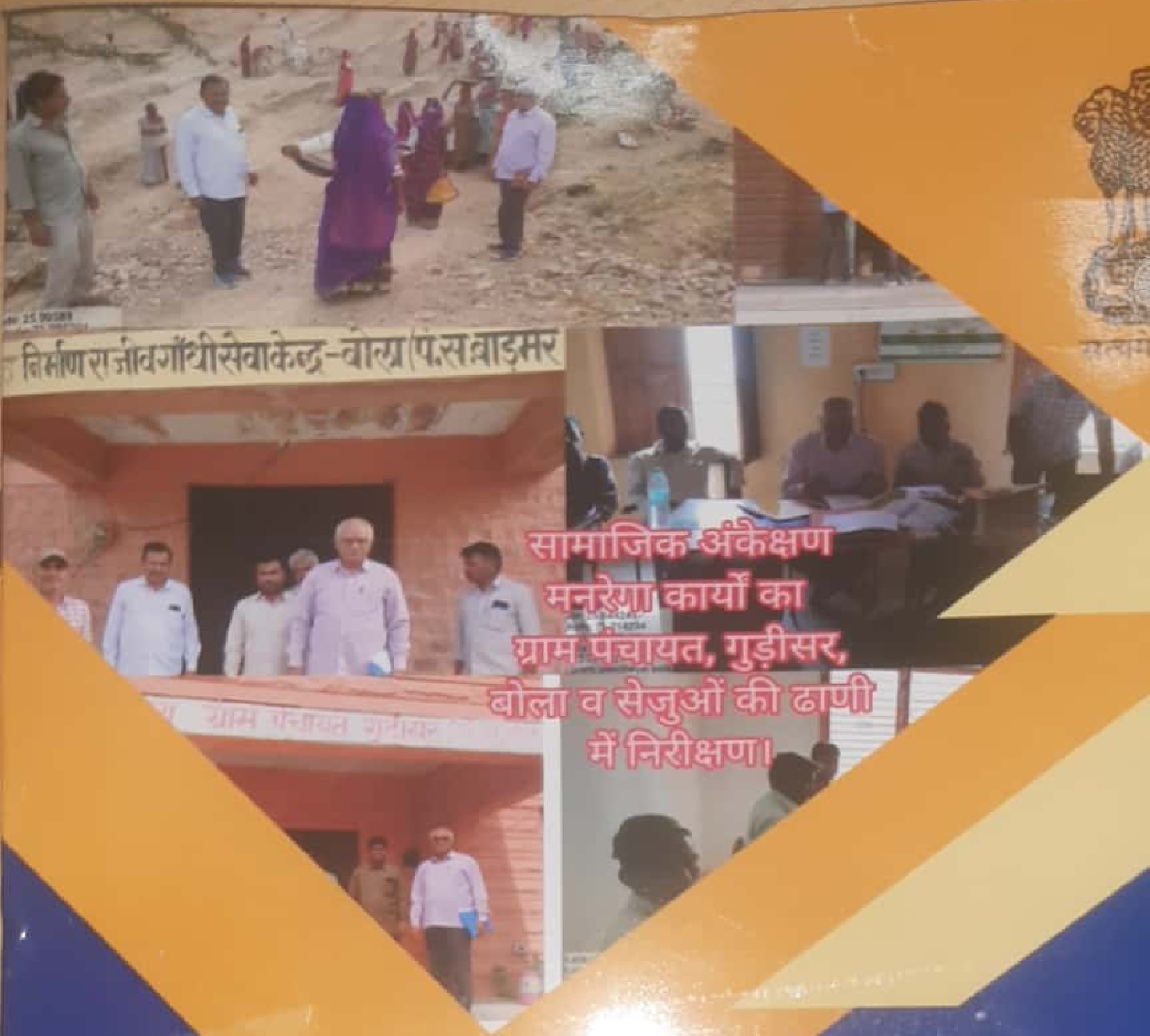

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2022-2023

सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है ।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
राजस्थान, जयपुर

E-mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN • Tel. : 2227033/2227725

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Society for Social Audit
Accountability & Transparency
(SSAAT), Rajasthan

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2022–2023

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E-mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033/2227725)

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT) का गठन	1
3.	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना	1
4.	सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं	2
5.	सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधन	13
6.	लोकपाल की नियुक्ति	14
7.	सोसायटी की वर्ष 2022–23 की मुख्य उपलब्धियाँ	16
8.	सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन	17
9.	लेखे एवं अंकेक्षण	17
10.	परिशिष्ट–1 मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 27 जून 2019	21
	परिशिष्ट –2 सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र	21
	परिशिष्ट –3 सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन	22

Scanned with CamScanner

1. प्रस्तावना

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार–विमर्श, जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 में सामाजिक अंकेक्षण के लिये अंकेक्षण मानक स्थापित किये गये है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यो का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–2020 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.1 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।

2. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन :-

भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-VII/P दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्री मण्डलीय आज्ञा दिनांक 27.06.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को किया गया जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 19.09.2019 को किया गया।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना :-

सोसायटी के समस्त कियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (GB) के निर्देशन में होगा। शासी निकाय में अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, उपाध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा सदस्य सचिव शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 13 सदस्य होंगे। शासी निकाय के निर्देशों की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्य समिति (EC) होगी। कार्यकारी समिति (EC) में अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उपाध्यक्ष शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग तथा सदस्य सचिव निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) सहित कुल 18 सदस्य होंगे।

Scanned with CamScanner

4. सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं :-

भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य कई सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में भी सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने बाबत विधिक प्रावधान/प्रशासनिक निर्देश है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड–डे–मील योजना, 15 वें वित्त आयोग तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

(i) महात्मा गांधी नरेगा योजना :–

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में हुए निर्माण कार्यो एवं लाभार्थियों के हित में किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 11249 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न किया गया जिसका माहवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं. सं.	माह का नाम	अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	विशेष विवरण
1	अप्रैल 2022	470	470	राज्य की 24 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में रूपान्तरण किये जाने के कारण उन 24 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण नही किया गया है।
2	जून 2022	142	135	
3	जुलाई 2022	148	141	
4	सितम्बर 2022	302	293	
5	अक्टूबर 2022	371	371	
6	नवम्बर 2022	1112	1112	
7	दिसम्बर 2022	1059	1059	
8	जनवरी 2023 (प्रथम चरण)	1066	1065	
9	जनवरी 2023 (द्वितीय चरण)	1187	1187	
10	फरवरी 2023	2388	2388	
11	मार्च 2023 (प्रथम चरण)	1980	1980	
12	मार्च 2023 (द्वितीय चरण)	1048	1048	
	कुल योग	11273	11249	

उपरोक्त वर्णित 352 पंचायत समितियों की 11249 ग्राम पचांयतों का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2022–23 में ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सम्पादित किया गया है।

Scanned with CamScanner

वित्तीय वर्ष 2022–23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो अनियमितताएं पायी गई उनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

सामाजिक अंकेक्षण संबंधित प्रकरणों की सूचना (श्रेणीवार) :–

वित्तीय वर्ष 2022–23

SR	District Name	Total Number of GPs	Total Number of GPs Audited atleast once	Financial Misappropriation		Financial Deviation		Process Violation		Grievances		Total Number Of Issues Reported	Total Amout
				Number Of Issues Reported	Amount	Number Of Issues Reported	Amount	Number Of Issues Reported	Amount	Number Of Issues Reported	Amount		
1	AJMER	325	322	9	92294	0	0	0	0	0	0	9	92294
2	ALWAR	581	545	1	47440	0	0	0	0	1	0	2	47440
3	BANSWARA	419	395	3	2704605	3	0	2	0	2	0	10	2704605
4	BARAN	235	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BARMER	689	681	1	0	2	22533	3	0	4	7175	10	29708
6	BHARATPUR	403	400	1	21501	1	21501	0	0	1	0	3	43002
7	BHILWARA	398	397	6	2642892	2	321440	28	0	2	0	38	2964332
8	BIKANER	367	366	0	0	1	496313	1	1000	4	0	6	497313
9	BUNDI	184	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHITTORGARH	299	293	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
11	CHURU	304	304	0	0	0	0	0	0	1	7825000	1	7825000
12	DAUSA	288	284	1	23157	45	0	1	0	0	0	47	23157
13	DHOLPUR	189	188	0	0	0	0	0	0	39	0	39	0
14	DUNGARPUR	353	339	0	0	0	0	9	280000	1	0	10	280000
15	HANUMANGARH	269	268	0	0	0		0	0	12	0	12	0
16	JAIPUR	602	558	1	0	1	0	2	0	22	0	26	0
17	JAISALMER	206	205	1	0	12	0	0	0	40	0	53	0
18	JALORE	307	302	0	0	2	10	1	0	4	0	7	10
19	JHALAWAR	254	245	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
20	JHUNJHUNU	337	336	4	1420900	3	269065	1	0	15	0	23	1689965
21	JODHPUR	629	615	20	8212018	13	1657148	6	49000	3	0	42	9918166
22	KARAULI	243	224	0	0	4	22000	0	0	3	0	7	22000
23	KOTA	158	142	3	1154832	0	0	0	0	3	0	6	1154832
24	NAGAUR	500	496	3	1402000	1	0	0	0	4	0	8	1402000
25	PALI	341	335	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
26	PRATAPGARH	235	195	1	0	0	0	0	0	84	0	85	0
27	RAJSAMAND	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SAWAI MADHOPUR	229	213	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0
29	SIKAR	375	373	2	4400	0	0	1	3582	2	0	5	7982
30	SIROHI	171	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SRI GANGANAGAR	344	343	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
32	TONK	236	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	UDAIPUR	652	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11336	11008	57	17726039	91	2810010	55	333582	262	7832175	465	28701806

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्थान के 33 जिलों की 11249 ग्राम पचांयतों में नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो अनियमितताएं पायी गई उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय अनियमितता Financial Misappropriation		वित्तीय विचलन Financial Deviation		प्रक्रिया उल्लंघन Process Violation		परिवेदनाएं Grievances		कुल अनियमितताएं	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
57	17726039	91	2810010	55	333582	262	7832175	465	28701806

Scanned with CamScanner

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं का विवरण

वित्तीय अनियमितताऐं (Financial Misappropriation) :-

- Amount misappropriated by individuals through fake entries
- Payment done without construction of work
- In-appropriate work was executed
- Not Found the traces of work
- Payment to person who did not work
- Work was done with machines etc etc.

वित्तीय विचलन (Financial Deviation) :-

- Excess Values in Technical Estimate
- Expenditure amount is greater than the amount sanctioned
- NMRs not produced for Social Audit
- Public work has been done on private land
- Record not produced in some other Scheme also
- Sanction of ineligible work
- Work on private land- beneficiary does not have Job Card
- Work taken up without Administrative Sanction
- Work taken up without Gram Sabha Approval
- Work taken up without Technical Estimate

प्रक्रिया उल्लंघन (Process Violation) :-

- Citizen Information boards are not put up
- Difference in the days worked and wages earned between JC and online entry
- Job Cards are not with workers
- Job cards have been maintained poorly
- Mate not available at worksite
- Mates have not been trained properly
- Quality of work is poor
- Wall writings have not been done
- Worksite facilities are not provided

परिवेदनाएं (Grievances) :-

- Application for Aadhaar card
- Complaint - application to compensate for permanently disability/death by accident arising out of and in the course of employment
- Complaint – non-provision of worksite facilities
- Complaint – work application is not accepted
- Complaint on other persons
- Complaint-Application to redress grievance was not registered or acted upon etc etc..

Scanned with CamScanner

भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट पर 9.2.6 पर वित्तीय अनियमितता की वसूली रिपोर्ट जिलेवार निम्नानुसार है:–

वित्तीय दुर्विनियोजन वसूली रिपोर्ट :-

वित्तीय वर्ष : 2022-2023

SR	District Name	Total Number of Cases Reported by SAU	Corresponding Financial Misappropriation Amount (Rs.)	Total Number of decided Cases (ATR upload)	Corresponding Financial Misappropriation Amount of decided cases, as reported by SAU	No- of decided Cases for which Financial Misappropriation Amount needs to be recovered	Final Recoverable amount to be recovered (Rs.)	No- of decided Cases for which Recovery is done	Total Amount recovered, so for (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AJMER	9	92,294	8	63501	1	28793	8	63501
2	ALWAR	1	47440	0	0	1	47440	0	0
3	BANSWARA	3	2704605	0	0	3	2704605	0	0
4	BARAN	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BARMER	1	0	0	0	1	0	0	0
6	BHARATPUR	1	21501	1	21501	0	0	1	21501
7	BHILWARA	6	2642892	0	0	6	2642892	0	0
8	BIKANER	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BUNDI	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHITTORGARH	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CHURU	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DAUSA	1	23157	1	23157	0	0	1	23157
13	DHOLPUR	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	0	0	0	0	0	0	0	0
15	HANUMANGARH	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JAIPUR	1	0	1	0	0	0	1	0
17	JAISALMER	1	0	0	0	1	0	0	0
18	JALORE	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JHALAWAR	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JHUNJHUNU	4	1420900	3	1360900	1	60000	3	1360900
21	JODHPUR	20	8212018	0	0	20	8212018	0	0
22	KARAULI	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KOTA	3	1154832	0	0	3	1154832	0	0
24	NAGAUR	3	1402000	0	0	3	1402000	0	0
25	PALI	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PRATAPGARH	1	0	1	0	0	0	1	0
27	RAJSAMAND	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SAWAI MADHOPUR	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SIKAR	2	4400	0	0	2	4400	0	0
30	SIROHI	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SRI GANGANAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
32	TONK	0	0	0	0	0	0	0	0
33	UDAIPUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	57	17726039	15	1469059	42	16256980	15	1469069

Scanned with CamScanner

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता के 57 आक्षेपित प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें राशि 17726039 की वित्तीय अनियमितता प्राप्त हुई इस राशि में से 15 आक्षेपित प्रकरणों के विरूद्ध राशि 1469059 रू. की वसूली/समायोजन किया जा चुका है, शेष 42 आक्षेपित प्रकरणों के विरूद्ध राशि 16256980 रू. की वसूली के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे है तथा ब्लॉक विकास अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बन्धित जिला परिषद एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) को भी निर्देश जारी किये जा चुके है।

वित्तीय अनियमितताओं की अनुपालना एवं वसूली हेतु प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र कमांक एफ 61 (57) SSAAT /वसूली/2019–20/7733–41 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर (ईजीएस) समस्त एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को निम्न निर्देश जारी किये गये।

- सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 10 दिवसों में यह सुनिश्चित कर लेवे कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कितने प्रकरण वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित है। इन वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों को भारत सरकार के नरेगा सॉफ्टवेयर की वेबसाईट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- वित्तीय अनियमितताओं वाले प्रकरणो में आगामी एक सप्ताह में सम्बन्धित विकास अधिकारी के माध्यम से वसूली हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/जन प्रतिनिधि/संविदा कर्मी के विरूद्ध नोटिस जारी कर उन्हें 15 दिवस का समय देवें। जिसका स्मरण पत्र एक सप्ताह उपरान्त पुनः देवें।
- 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर वसूली हेतु कार्यवाही करें। यदि वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी/जन प्रतिनिधि अपने स्पष्टीकरण में अनियमितता से इंकार करता है, तो आगामी सात दिवस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वंय अपने स्तर पर प्रकरण की जांच करवाये तदुपरान्त निदेशक सामाजिक अंकेक्षण को अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण निस्तारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।
    - जन सेवक/ संविदा कर्मी से वसूली योग्य राशि की वसूली न होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली की कार्यवाही करें।
    - माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय ने बजट सत्र के दौरान विधान सभा में लेखानुदान मांगो का जवाब देते हुए अवगत कराया कि वसूली के लिए केवल जन प्रतिनिधि ही उत्तरदायी नही है। इसके लिए माप पुस्तिका में प्रविष्टि इन्द्राज करने वाला कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सहा. लेखाधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे। अतः वसूली का उत्तरदायित्व समानुपातिक रूप से निर्धारित किया जावे तथा उनकी जिम्मेदारी भी तय की जावे।
    - मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि समय–समय पर लम्बित वित्तीय प्रकरणों की समीक्षा करें एवं वित्तीय प्रकरणो का त्वरित निस्तारण करें तथा वसूली की प्रभावी कार्यवाही करें।

Scanned with CamScanner

सोसायटी द्वारा अंकेक्षित अन्य योजनाओं का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:–

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :–

सोसायटी द्वारा राजस्थान के सभी 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निर्मित मकानों का माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि में सोसायटी द्वारा जारी कलेण्डर अनुसार 11249 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि में 3,38,360 आवासों का सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सम्पादित किया गया। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं	जिले का नाम	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				कुल अंकेक्षित आवासों की संख्या वर्ष 2022–23
			वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	कुल आवासों की संख्या	
1	अजमेर	325	4489	10524	3	15016	8428
2	अलवर	561	125	3847	111	4083	2605
3	बांसवाड़ा	417	52864	50738	0	103602	50535
4	बारां	232	5957	14318	0	20275	18602
5	बाड़मेर	688	47070	49393	0	96463	66197
6	भरतपुर	400	2068	179	0	2247	1718
7	भीलवाड़ा	397	7596	40343	0	47939	5950
8	बीकानेर	366	8584	14943	0	23527	4754
9	बूंदी	184	16065	20554	0	36619	3896
10	चित्तौड़गढ़	299	6305	16832	0	23137	9948
11	चुरु	304	4421	5955	45	10421	1114
12	दौसा	284	33	2244	14	2291	910
13	धौलपुर	188	445	1953	0	2398	195
14	डूंगरपुर	353	6853	16742	3067	26662	18712
15	हनुमानगढ़	268	2145	6169	84	8398	6956
16	श्रीगंगानगर	344	60	13943	0	14003	13838
17	जयपुर	585	978	5564	297	6839	2259
18	जैसलमेर	205	8290	19348	0	27638	12278
19	जालौर	306	16259	14503	26	30788	11422
20	झालावाड	254	11469	26943	7	38419	12070
21	झुंझुनू	336	43	677	0	720	347
22	जोधपुर	619	19131	14346	39	33516	15112
23	करौली	241	6683	7725	0	14408	5853
24	कोटा	156	1551	7523	54	9128	5722
25	नागौर	497	2793	8909	0	11702	11499
26	पाली	339	2967	8081	0	11048	796
27	प्रतापगढ	234	13167	23096	1191	37454	4792
28	राजसमंद	214	1321	6162	3	7486	5620
29	सवाई माधोपुर	226	4994	12752	0	17746	7458
30	सीकर	373	64	815	0	879	729
31	सिरोही	170	1346	2107	0	3453	3251
32	टोंक	236	10962	21539	0	32501	5312
33	उदयपुर	647	9480	34090	0	43570	19482
	कुल योग	11249	276578	482857	4941	764376	338360

Scanned with CamScanner

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पायी गई मुख्य अनियमितताएं –

- शौचालय स्वीकृत परन्तु निर्मित नहीं।
- लाभार्थी को किस्त का भुगतान नहीं।
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी पलायन।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया।
- पीएमएवाइजी का लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं है।
- लाभार्थी की भूमि विवादित है।

(iii) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :–

सोसायटी द्वारा राजस्थान के 33 जिलों की 10644 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण माह जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक किया गया। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार माह जुलाई 2022 से मार्च 2023 की अवधि में 144525 शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित शौचालयों की संख्या
1	AJMER	325	3979
2	ALWAR	561	647
3	BANSWARA	417	2615
4	BARAN	232	1792
5	BARMER	688	7577
6	BHARATPUR	400	6057
7	BHILWARA	397	12947
8	BIKANER	366	888
9	BUNDI	184	3821
10	CHITTORGARH	299	9510
11	CHURU	304	708
12	DAUSA	284	478
13	DHOLPUR	188	733
14	DUNGARPUR	353	12403
15	HANUMANGARH	268	819
16	GANGANAGAR	344	708
17	JAIPUR	585	1280
18	JAISALMER	205	4563
19	JALORE	306	989
20	JHALAWAR	254	4993
21	JHUNJHUNU	336	3138
22	JODHPUR	619	457
23	KARAUI	241	113
24	KOTA	156	6816
25	NAGUR	497	10876
26	PALI	339	12560
27	PRATAPGARH	234	824
28	RAJSAMAND	214	713

Scanned with CamScanner

29	SAWAI MADHOPUR	226	590
30	SIKAR	373	1374
31	SIROHI	170	12359
32	TONK	236	2433
33	UDAIPUR	647	14775
	कुल योग	11249	144525

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में पायी गई मुख्य अनियमितताएं –

- वास्तव में शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।
- शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नहीं है।
- शौचालय में साफ–सफाई नहीं है।
- लाभार्थी द्वारा शौचालय का अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण शौचालय को पूर्ण दिखाया गया है।
- राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित शौचालय पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी) किया गया है।
- SBM (G) लोगो /सूचना बोर्ड नहीं लगा हुआ है।

(iv) 15वां वित्त आयोग :–

15वें वित्त आयोग में हुए कार्यो का सोसायटी द्वारा माह अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि में 15वें वित्त आयोग की गाइड लाइन अनुसार 8776 ग्राम पंचायतों में हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जा चुका है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	जिले का नाम	कुल ग्राम पंचायत	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अजमेर	325	186
2	अलवर	561	502
3	बांसवाड़ा	417	382
4	बारां	232	211
5	बाड़मेर	688	637
6	भरतपुर	400	180
7	भीलवाड़ा	397	261
8	बीकानेर	366	228
9	बूंदी	184	161
10	चित्तौड़गढ़	299	294
11	चुरु	304	173
12	दौसा	284	268
13	धौलपुर	188	183
14	डूंगरपुर	353	322
15	हनुमानगढ़	268	254

Scanned with CamScanner

16	श्रीगंगानगर	344	334
17	जयपुर	585	493
18	जैसलमेर	205	193
19	जालौर	306	244
20	झालावाड	254	158
21	झुंझुनू	336	242
22	जोधपुर	619	420
23	करौली	241	164
24	कोटा	156	129
25	नागौर	497	355
26	पाली	339	224
27	प्रतापगढ	234	184
28	राजसमंद	214	197
29	सवाई माधोपुर	226	165
30	सीकर	373	191
31	सिरोही	170	151
32	टोंक	236	251
33	उदयपुर	647	439
	कुल योग	11249	8776

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान 15वें वित्त आयोग योजना में पायी गई मुख्य अनियमितताएं –

- ❖ सीसी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग।
- ❖ नाली में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग, नाली टूटी व क्षतिग्रस्त मिलना।
- ❖ ग्राम पंचायतो में निर्मित नाला निर्माण की वर्तमान में सफाई की कमी
- ❖ नालियों के पानी का प्रवाह सही रूप से नहीं पाया जाना।

(v) मिड–डे–मील योजना :–

सोसायटी द्वारा मिड–डे–मील योजना में विद्यालयों में पोषाहार का सामाजिक अंकेक्षण माह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि में राजस्थान के सभी 33 जिलो की 11249 ग्राम पंचायतों में सम्पादित किया गया है। जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि में 11301 विद्यालयों में मिड–डे–मील योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं	जिले का नाम	कुल विद्यालयों की संख्या	अंकेक्षित विद्यालयों की संख्या
1	अजमेर	1890	325
2	अलवर	2883	574
3	बांसवाड़ा	2707	418
4	बारां	1313	232
5	बाड़मेर	4954	689
6	भरतपुर	1781	401
7	भीलवाड़ा	2930	398
8	बीकानेर	1989	367

Scanned with CamScanner

9	बूंदी		
10	चित्तौड़गढ़	1292	184
11	चुरु	1845	298
12	दौसा	1461	304
13	धौलपुर	1572	288
14	डूंगरपुर	1170	185
15	हनुमानगढ़	2257	353
16	श्रीगंगानगर	1942	275
17	जयपुर	1108	339
18	जैसलमेर	3677	602
19	जालौर	1285	206
20	झालावाड़	1947	306
21	झुंझुनू	1747	254
22	जोधपुर	1588	329
23	करौली	3565	629
24	कोटा	1447	241
25	नागौर	1173	156
26	पाली	3151	500
27	प्रतापगढ़	1815	341
28	राजसमंद	1384	235
29	सवाईमाधोपुर	1691	214
30	सीकर	1065	225
31	सिरोही	1961	168
32	टोंक	934	377
33	उदयपुर	1579	236
		3913	652
	योग	67016	11301

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मिड–डे–मील योजना में स्कूलों में पायी गई अनियमितताओं का विवरण –

- स्कूल में मैनेजमेन्ट कमेटी की बैठक कार्यवाही पंजिका के संधारण का अभाव
- स्कूल में किचन कम स्टोर की उपलब्धता का अभाव
- स्कूल में खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर के संधारण का अभाव
- स्कूल में कुक कम हेल्पर के मानदेय भुगतान की पंजिका के संधारण का अभाव
- स्कूल में खाद्यान्न, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट, कुक कम हेल्पर एवं एमएमई से व्यय के बिल एवं वाउचर्स की अनुपलब्धता
- स्कूल में बजट रजिस्टर का संधारण का अभाव
- स्कूल में मिड–डे–मील योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर भवन की अनुपलब्धता
- स्कूल में पोषाहार का बच्चों को आपूर्ति से पूर्व जॉच की स्थिति का अभाव
- स्कूल में आपातकालीन मेडिकल की सुविधा की अनुपलब्धता
- स्कूल में स्टॉक रजिस्टर के संधारण का अभाव
- स्कूल में जागरुकता अभियान नहीं

Scanned with CamScanner

(vi) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राज्य के 7 जिलों भरतपुर, कोटा, भीलवाडा, उदयपुर, जोधपुर, बाडमेर, चित्तौडगढ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में निर्मित 12 प्रोजेक्ट के 4848 आवासों का सोसायटी द्वारा माह फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक अंकेक्षित आवासों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.स.	परियोजना का नाम	निर्मित आवासों की संख्या	अंकेक्षित आवासों की संख्या
1	UIT Bhilwara	604	483
2	SPM Yojna Bharatpur	320	256
3	Aanganwa Jodhpur	544	435
4	Balotra (PH-1)	608	486
5	Mohan lal Sukhadia Kota	368	294
6	Chandra Shekhar Ajad Kota	640	512
7	Raipura Yojna Kota	288	230
8	MLS. Block D & G Kota	532	425
9	Manglam Appartment Prem Nagar Kota	368	294
10	Bedwas Udaipur	848	678
11	Gandhi Nagar Chittorgarh	304	243
12	R- 1 To R-4 South Extention Udaipur	640	512
	योग	6064	4848

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में पायी गई मुख्य अनियमितताएं –

- पारदर्शिता– प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी, वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
- तकनीकी समिति का अस्तित्व नहीं है।
- स्टेट लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।
- सिटी लेवल टेक्निकल सेल द्वारा प्रोजेक्ट की गतिविधियों एवं कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है।
- जवाबदेहिता – कदाचार एवं भ्रष्टाचार से बचने का उपाय नहीं है।
- शिकायत निवारण का तंत्र नहीं है।
- आवास निर्माण की क्वालिटी खराब है।
- सीवरेज, संपर्क सडक, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

Scanned with CamScanner

5. सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधन:–

(i) सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत पद:–

सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	1
2	राज्य संसाधन व्यक्ति	6
3	जिला संसाधन व्यक्ति	99
4	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	1886
5	ग्राम संसाधन व्यक्ति	35200

(ii) संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया:–

सोसायटी में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त वर्णित स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर चयन एवं नियुक्ति हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 (यथा संशोधित) बनाये गये है जो शासी निकाय से अनुमोदित हैं के अनुसार ही संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही की गई है।

वर्तमान में सोसायटी में स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर चयन एवं नियुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:–

- **सामाजिक विकास विशेषज्ञ** के एक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **राज्य संसाधन व्यक्तियों** के स्वीकृत 6 पदों पर चयन विनियमों के तहत चयन कर लिया गया हैं। इन राज्य संसाधन व्यक्तियों ने कार्यग्रहण कर लिया है।
- **जिला संसाधन व्यक्तियों** के स्वीकृत 99 पदों पर विनियम 2020 के तहत 72 व्यक्तियों की चयन की स्वीकृत सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें से 64 जिला संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं।
- नवीन **ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों** के स्वीकृत 1886 पदों पर शासी निकाय द्वारा अनुमोदित चयनित नियमों के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र वर्ष 2022–23 के अध्याय संख्या 10 के बिन्दु संख्या 10.1.5 के अनुसार राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) के लिए सामाजिक जवाबदेहिता और सामाजिक अंकेक्षण से सम्बन्धित 30 दिवस का सर्टिफिकेट कोर्स आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

अतः सभी पात्र राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD) हैदराबाद के निर्देशानुसार 30 दिवस का प्रशिक्षण दिया जावेगा। ग्राम संसाधन व्यक्तियों को विनियम 2020 के तहत चयन पश्चात सोसायटी स्तर पर / जिला / ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण करवाया जावेगा।

(iii) **संसाधन व्यक्तियों को देय मानदेय की दरें :–**

भारत सरकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमोदन अनुसार मानदेय की दरें निम्नानुसार है :–

क्र. स.	संसाधन व्यक्तियों की श्रेणी / वर्ग	मानदेय राशि
1.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	40,000 रू. प्रति माह
2.	राज्य संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
3.	जिला संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
4.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	500 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस
5.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	300 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस

(iv) **ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था :–**

माह जनवरी, 2021 से सामाजिक अंकेक्षण दलों को मानदेय का भुगतान संबंधित विकास अधिकारी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ61(1)SSAAT/Bank Account/2020-21/2391 दिनांक 26.03.2021 एवं पत्रांक 2462 दिनांक 31.03.2021 (आदेश संख्या 31 / 2021) एवं विभिन्न आदेशों द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। तदनुसार राज पेमेन्ट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ई–पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान कार्यवाही सम्पादित की गई है।

6. लोकपाल की नियुक्तिः–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक एफ न. 111060 / 54 / 2020–RE-III (373836) दिनांक 23.12.2021 द्वारा जारी गाइड लाईन की अनुपालना में 11 जिलों में लोकपाल के नियुक्ति आदेश सोसायटी के पत्र कमांक एफ 61 (197) SSAAT / लोकपाल नियुक्ति /2021–2022/ 8299 दिनांक 13.06.2022 को तथा 4 जिलों में लोकपाल के नियुक्ति आदेश सोसायटी के समसंख्यक पत्रांक 9093 दिनांक 29.08.2022 को जारी किये जा चुके हैं। शेष 18 जिलो में लोकपाल के नियुक्ति आदेश सोसायटी के पत्र कमांक एफ 61 (200) SSAAT / लोकपाल नियुक्ति /2022–2023/ 222 दिनांक 20.04.2023 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

Scanned with CamScanner

सोसायटी द्वारा प्रथम चरण में नियुक्त 15 लोकपालों द्वारा माह जून 2022 से मार्च 2023 की अवधि में 480 शिकायतें प्राप्त की गई जिनमें से 380 शिकायतों का निस्तारण करते हुए 278 अवार्ड जारी किये गये है जिसकी जिलेवार प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

लोकपाल के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट (31 मार्च 2023 तक)

DISTRICT	OMBUDSPERSON NAME	JOINING DATE	No of complaints received during (June 2022 to April 2023)	Total complaints disposed during (June 2022 to April 2023)	Complaints pending on (June 2022 to April 2023)	No of cases in which disciplinary action initiated			Amount recommended for recovery (in Rs)	Award copy	No. of inspection done of Nrega works
						Show cause notice	Suspension ordered	termination/removal of officials ordered			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अलवर	श्री विष्णु दत्त शर्मा	6/23/2022	9	5	4	0	0	0	0	0	54
बासंवाडा	श्री प्रताप पाटीदार	6/14/2022	9	9	0	4	0	0	3408	9	145
बाड़मेर	श्री महेश दादाणी	6/15/2022	24	13	11	6	0	0	97600	13	93
भरतपुर	श्री प्रवीण फौजदार	6/17/2022	11	8	3	1	0	0	16835	8	63
भीलवाडा	श्री रूपलाल शर्मा	6/30/2022	65	63	2	11	0	0	293333	24	61
बीकानेर	श्री किशोर सिह राठौड	6/17/2022	24	15	9	0	0	0	0	14	101
डूंगरपुर	श्री सुखदेव यादव	6/14/2022	33	33	0	0	0	0	0	33	165
हनुमानगढ	श्री विनोद कुमार खाती	6/16/2022	14	9	5	5	0	2	0	9	96
जयपुर	श्री रामावतार	6/17/2022	50	48	2	12	0	0	0	48	150
जैसलमेर	श्री योगेश पुरोहित	6/30/2022	63	39	24	15	4	1	150000	11	89
जालौर	श्री बृजेश कुमार	6/15/2022	29	15	14	0	0	0	0	15	115
झुंझुनू	श्री महावीर प्रसाद	6/17/2022	39	36	3	7	0	0	0	34	90
राजसमंद	श्री शिवराज शर्मा	6/30/2022	69	66	3	8	0	0	57756	39	59
श्रीगंगानगर	श्री अनिल कुमार	6/30/2022	24	10	14	0	0	0	2500	10	101
सीकर	श्री हरीराम मंगावा	6/16/2022	17	11	6	0	0	0	0	11	13
योग			480	380	100	69	4	3	621432	278	1395

Note :- No of cases in which FIR lodged – Nill

Scanned with CamScanner

लोकपाल अपीलेट ऑथोरिटी :—

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 28.08.2017 के बिन्दु संख्या 13.4 में 3 सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी के गठन का प्रावधान महानरेगा लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु किया गया है। अपीलेट अथोरिटी के सदस्यों के चयन हेतु साक्षात्कार राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये जा चुके है।

7. सोसायटी की वर्ष 2022–23 की मुख्य उपलब्धियाँ

1. सामाजिक अंकेक्षण की प्रगतिः–

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण विकास करने के उद्वेश्य से सोसायटी द्वारा वर्ष 2022–23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मिड–डे–मील योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने के कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। जिनका माह मार्च 2023 तक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	योजना का नाम	उपलब्धियों का विवरण
1	महात्मा गांधी नरेगा योजना	11249 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	338360 आवासों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
3	मिड–डे–मील योजना	11301 विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
4	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	144525 शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया
5	प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण माह फरवरी 2023 से 7 जिलों भरतपुर, कोटा, भीलवाडा, उदयपुर, जोधपुर, बाडमेर, चित्तौडगढ में प्रारम्भ किया गया है जिसमें 12 प्रोजेक्ट के 4848 आवासों का माह फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
6	15वां वित्त आयोग	15 वां वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार 8776 ग्राम पंचायतों में हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

2. ग्राम संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम संसाधन व्यक्तियों (SHG-VRPs) का वर्ष 2022–23 में 14.02.2023 से 18.02.2023 एवं 20.02.2023 से 24.02.2023 तक राज्य के 15 जिलों की 173 पंचायत समितियों में 11052 ग्राम संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर करवाया गया।

Scanned with CamScanner

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण:—

सोसायटी द्वारा वर्ष 2022—23 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं लेखा सहायकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 02.02.2023 से 03.02.2023 तक आयोजित किया गया जिसमें 1056 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं लेखा सहायकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

2. 15 जिलों के लोकपाल का प्रशिक्षण:—

सोसायटी द्वारा 15 जिलों के लोकपाल का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 20.10.2022 से 21.10.2022 तक सचिवालय स्थित उत्तर पश्चिम भवन के कान्फ्रेन्स हॉल में आयोजित किया गया है।

8. सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन :—

सोसायटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय सं. 3.5 की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन का अनुमोदन शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णय संख्या 2.5 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम (RTPP Act 2012 & Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) के नियमों के अंतर्गत निदेशक, (SSAAT) को विभागाध्यक्ष एवं उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग—1) के आदेश क्रमांक एफ1(8)ग्रावि/ ग्रुप—1/2013 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश जारी किये गये है, जिसके Appendix (परिशिष्ट—B) के संलग्नक (Annexure)—1 ख में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में कार्य सम्पादन हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

9. लेखे एवं अंकेक्षण (Accounts & Audit) :—

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने हैं।

भारत सरकार के मनरेगा वार्षिक मास्टर प्रपत्र (Annual Master Circular) 2022—23 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.6 के अंतर्गत राज्य सरकार को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में प्रशासनिक व्यय मद में से 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी 0.5 प्रतिशत राशि या योजना के प्रावधानानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रावधान हैं।

Scanned with CamScanner

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के वार्षिक अन्तिम लेखों का विवरण :-

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2023

Expenditure	Amount (In Rs.)		Income	Amount (In Rs.)	
Expenses			**Income**		2436320.01
Salary and Allowances to staff		**20039696.00**	Tender Fees Recd.	2500.00	
Salary to regular staff	15898204.00		Interest from bank and FDR	1703303.00	
Leave Encashment	164435.00		Exam fees for BRP / DRP Vacancy	719967.00	
Bonus	37257.00		Miscellaneous Income	497.01	
Remuneration to Retired contract Staff	1856923.00		Rti Fee	2490.00	
Travelling Allowance	149544.00		Interest from Tds Refund	7563.00	
Additional Charge Allowance	10794.00				
DA Arrear of Regular Staff	178946.00				
Pension Contribution	1743593.00				
Concurrent Social Audit Expenses (CSA)		**41418476.00**	**Deficit being Expenditure over income**		64509189.49
Regular Social Audit Expenses	41418476.00		(Transfered to MGNREGA FUND)	64487739.49	
			(Transfered to PMAY URBEN FUND)	21450.00	
Contractual Expenses		**1632717.00**			
For Machine with Man	537024.00				
For Home Guard and Assistants	384857.00				
For Vehicle Hiring	710836.00				
Other Expenses (Other than Salary and Allowances)		**3854620.50**			
Advertisement Expenses	412693.00				
Professional Fees	435328.00				
Editing and Photography Expenses	9800.00				
Travelling Expenses	75501.00				
Printing and Stationery Expenses	252673.00				
Bank Charges	134663.50				
Repair and Maintenance	14350.00				
Refreshment Expenses	52227.00				
Training Expenses	243870.00				
News Paper Expenses	3620.00				
Miscellaneous office Expenses	78513.00				
Postage and Stamp Expenses	30000.00				
Meeting Expenses	98184.00				
Mobile Exp.	75019.00				
Telephone Expenses	16742.00				
Interest to MORD	1871437.00				
Website and Software Exp.	50000.00				
TOTAL		**66945509.50**			66945509.50

Scanned with CamScanner

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2023

LIABILITIES	Amount (In Rs.)		ASSETS	Amount (In Rs.)	
MGNREGA GOI Fund Opening Balance 1.4.22	71681530.00	4320340.51	**Fixed Assets**		522892.89
Less Utilised Amount This Year	64487739.49		LAP TOP	226995.00	
Less Transfer to Mgnrega GOR	2240450		FURNITURE	98943.89	
Less: Transfer to SBM	633000		PRINTER	176954.00	
			Tally Software	20000	
RUDSICO PMAY URBAN FUND	642000.00	620550.00	.		
Less Utilised Amount This Year	21450.00		.		
MID DAY MEAL FUND		2107000.00	**investment**		2100000.00
MGNREGA GOR		3667697.00	FDR With Bank	2100000.00	
SBM		633000.00			
Current Liabilities		52141.49	**Current Assets**		8842341.11
Concurrent Social Audit Expenses Liability	3600.00		Security Deposit to RRSUSL	10000.00	
Azadi Programe	918.00		Bank balance	8699816.11	
Mahavali Media	691.00		Accrued Interest	2498.00	
Cheque not reconciled	12267.00		TDS On FDR 22-23	130027.00	
Sundry Liability	34665.49				
Performance Guarantee and Security Deposit Payable		64505.00			
TOTAL		11465234.00	**TOTAL**		11465234.00

इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।

हालाकि आवश्यक होने पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना अनुज्ञेय है परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही प्रभारित किया जा रहा है।

सोसायटी **(SSAAT)** को मनरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए **SNA** खाता सं 38872762396 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में संधारित है।

Scanned with CamScanner

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय के निर्णय सं. 2.9 में अनुमोदन अनुसार सोसायटी के लेखों का नियंत्रक महालेखाकार (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अंकेक्षण कराये जाने का निर्देश हैं।

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2022–23 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

49/2019

दिनांक 26 जून, 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11(8) ग्रावि/लेखा/सिविल सोसायटी/सा.अंके/2015/दिनांक 19.06.2019 पर विचार-विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

डी.49/मं.सं./2019
जयपुर, दिनांक : 27 जून, 2019

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/Registration Certificate

दिनांक/ Date 20-08-2019

क्रमांक S.No.: COOP/2019/JAIPUR/104900

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज एक्ट 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.

Scanned with CamScanner

(परिशिष्ट–3)

सोसायटी में स्वीकृत मानव संसाधन

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान रखा गया है:–

शासी निकाय
पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राजस्थान
पदाधिकारी एवं सदस्यगण

↓

कार्यकारी समिति
(पदेन अध्यक्ष अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

↓

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
(पदेन सदस्य सचिव, GB, SSAAT)

↓

निदेशक (1)

↓

उपनिदेशक (1)

↓

- लेखाधिकारी (2)
- सहा. लेखाधिकारी–I (4)
- सहा. लेखाधिकारी–II (8)
- क. लेखाकार (4)

↓

- सहा. प्रशासनिक अधिकारी (1)
- कनिष्ठ सहायक (2)
- सहा. कर्मचारी (4)
- मैन–विद–मशीन (4)

↓

- प्रोग्रामर (1)
- सहा0 प्रोग्रामर (2)
- सूचना सहायक (5)

↓

- निजी सचिव (1)
- निजी सहायक/स्टेनो (1)

↓

- सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1)
- राज्य संसाधन व्यक्ति (6)
- जिला संसाधन व्यक्ति (99)
- ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1886)
- ग्राम संसाधन व्यक्ति (35200)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Printed by Diamond Printing Press ✆ 0141-4043938

Scanned with CamScanner